न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 02/2017
दायर दिनांकः 26.10.2017
निर्णय दिनांक 24.03.2025

—: अनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द — **प्रार्थी**

बनाम

श्री मगनीराम पिता प्यारा कीर निवासी पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द — **अप्रार्थी**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।
2– श्री चन्द्रशेखर आचार्य अधिवक्ता अप्रार्थी ।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2009 अनवान मगनीराम पिता प्यारा, जाति कीर निवासी ग्राम पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2010 में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देशित किया गया कि **" यदि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम रेफरेन्स योग्य है इसलिए माननीय राजस्व मण्डल को प्रकरण प्रस्तुत किया जावे। क्योंकि भूमि को सीधे अपने स्तर पर खाते से नहीं हटाकर माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत करने के ही प्रावधान है। "**

निर्देशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिस पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर आचार्य उपस्थित हुए। व प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा बहस हेतु बार–बार अवसर लिए गए। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता अप्रार्थी के वक्त बहस अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता ने एकपक्षीय बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मेवाड़ सेटलमेन्ट की पर्चा खतोनी संवत् 1990 में ग्राम पिपली आचार्यान के खसरा संख्या 1279 रकबा 22–03 बीघा व खसरा संख्या 2091 रकबा 202–05 बीघा किस्म नदी बिलानाम गैर मुमकीन अंकित थी। जिसके भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2023 अनुसार नवीन आराजी संख्या 3192/3108 रकबा 51–10 बीघा किस्म बंझड बने एवं उक्त आराजी संख्या में से 5–14 बीघा भूमि दिनांक 25.12.1978 को अप्रार्थी को जरिये मिसल संख्या 253/78 से आवंटित की गई जो जरिये नामान्तरण संख्या 376 से अप्रार्थी श्री मगनीराम पिता प्यारा कीर निवासी पीपली आचार्यन के नाम पर खसरा नम्बर 3192/3108/1 रकबा 05–14 बीघा किस्म बंजड़ अंकित हुई थी। जो वर्तमान में जरिये शुद्धि पत्र से नये खसरा नम्बर 3608/3192 रकबा 05–14 बीघा किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी के नाम अंकित हैं। मूलतः उक्त भूमि की किस्म नदी अंकित थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। उक्त भूमि का कानूनन आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार किस्म नदी अंकित की जानी है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः ग्राम पीपली आचार्यन के वर्तमान खसरा नम्बर 3608/3192 रकबा 05–14 बीघा किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त रेफरेंस कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में राजस्व स्वामित्व के नदी, नालों, तालाबों, झीलों आदि की दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को बहाल किये जाने को लेकर है। अतः प्रकरण रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सुना जाकर निर्णित किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार मेवाड़ सेटलमेन्ट की पर्चा खतोनी संवत् 1990 में ग्राम पिपली आचार्यान के खसरा संख्या 1279 रकबा 22–03 बीघा व खसरा संख्या 2091 रकबा 202–05 बीघा किस्म नदी बिलानाम गैर मुमकीन अंकित थी। जिसके भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2023 अनुसार नवीन आराजी संख्या 3192/3108 रकबा 51–10 बीघा किस्म बंझड बने एवं उक्त आराजी संख्या में से 5–14 बीघा भूमि दिनांक 25.12.1978 को अप्रार्थी को जरिये मिसल संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

253/78 से आवंटित की गई जो जरिये नामान्तरण संख्या 376 से अप्रार्थी श्री मगनीराम पिता प्यारा कीर निवासी पीपली आचार्यन के नाम पर खसरा नम्बर 3192/3108/1 रकबा 05–14 बीघा किस्म बंजड़ अंकित हुई थी। जो वर्तमान में जरिये शुद्धिपत्र से नये खसरा नम्बर 3608/3192 रकबा 05–14 बीघा किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी के नाम अंकित हैं। रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थी कानूनन् अधिकारिता नहीं रखती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपली आचार्यान वर्तमान तहसील कुंवारिया के खसरा नम्बर 3608/3192 रकबा 05–14 बीघा किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नदी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

24/3/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद